कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश

ऑडिट भवन, टी सी-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

सं:प्र.म.ले.(ले.प.-II)उ.प्र./प्रशासन/फा.सं.- 149/ 127 दिनांक:21.12.2021

संशोधित कार्यालय आदेश

पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं. प्र.म.ले.(ले.प.-II)उ.प्र./प्रशासन/फा.सं.- 149/122 दिनांक 20.12.2021 को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात आंशिक रूप से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है I

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात लखनऊ में अवस्थित प्रतिवेदन अनुभागों (रिपोर्ट) यथा-राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (SFAR) एवं राजस्व प्रतिवेदन को परस्पर विलय किया जाता है I उक्त विलय के पश्चात्, सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नानुसार कार्यालय में तीन प्रतिवेदन अनुभागों को गठित करने का अनुमोदन किया गया है -

(1) रिपोर्ट - I (राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ SFAR),

(2) रिपोर्ट - II (क्लस्टर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-I),

(3) रिपोर्ट - III (क्लस्टर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-II),

उक्त नव गठित प्रतिवेदन अनुभागों का संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत होगा :-

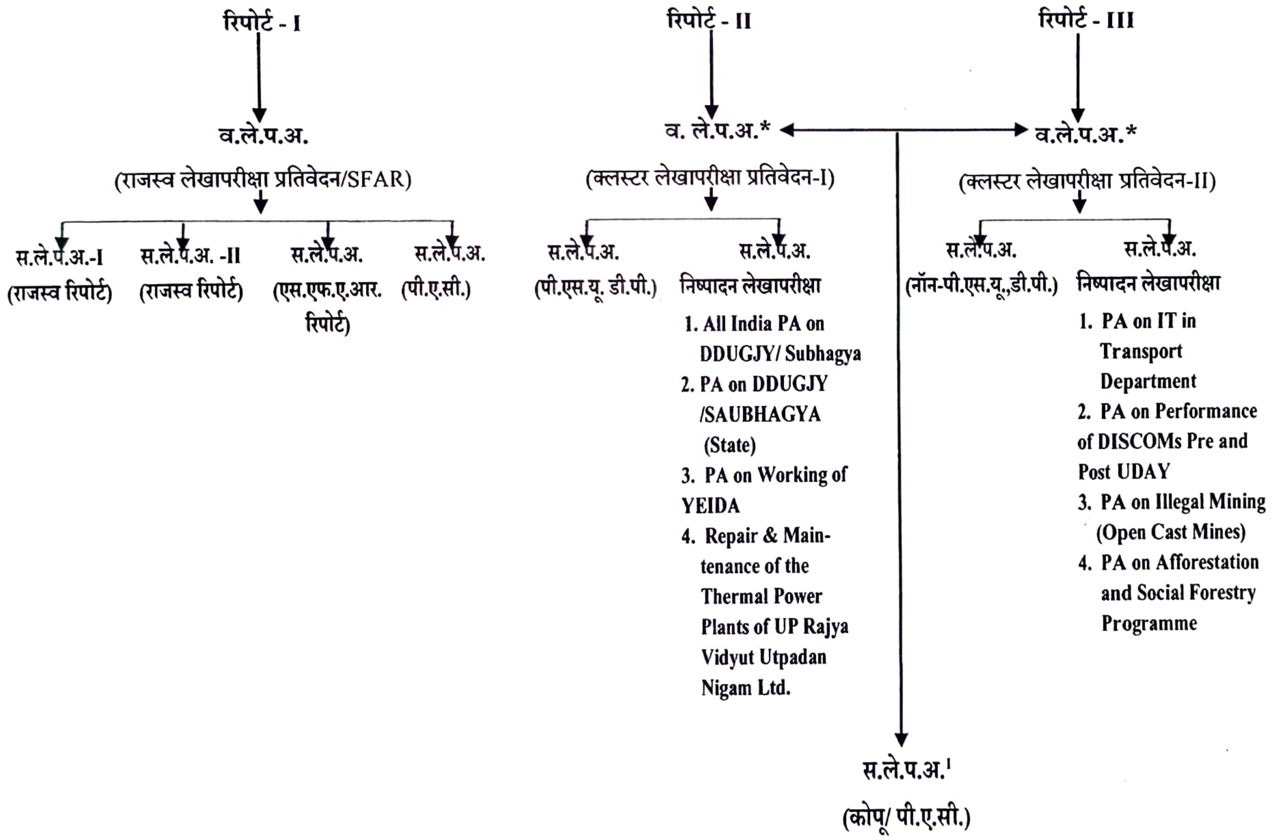

* उक्त के अतिरिक्त वर्क लोड (work load) का आवंटन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं अन्य अनुभागीय कर्मचारियों के मध्य सम्बन्धित वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रतिवेदन स्वयं, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप कर सकेंगे I

---

[1] सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (कोपू/ पी.ए.सी.), रिपोर्ट-II एवं रिपोर्ट-III में तैनात वरि.लेखापरीक्षा अधिकारियों के अधीन कार्य करेंगें एवं वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी रिपोर्ट- II के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहेंगें I

उक्त नव गठित प्रतिवेदन अनुभागों को अपने नियमित कार्यो को सम्पादित करने के लिये उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त उचित मानव शक्ति की तैनाती की जायेगी I उक्त के अतिरिक्त, प्रतिवेदन अनुभागों के कार्यो के निष्पादन के सम्बंध में निम्नलिखित निर्देश अनुपालनार्थ जारी किये जाते है:-

(1) लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूहों (AMGs) द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं अन्य लेखापरीक्षा सामग्रियों (Audit Materials) को सम्बंधित प्रतिवेदन अनुभाग में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने के पश्चात् एवं प्रधान महालेखाकार महोदय के अनुमोदन के उपरान्त, उक्त निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं अन्य लेखापरीक्षा सामग्रियों (Audit Materials) पर मुख्यालय की पृच्छाओं (Queries) पर आवश्यक कार्यवाही से लेकर लेखा परीक्षाओं/ ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं अन्य लेखापरीक्षा सामग्रियों के मुख्यालय के अनुमोदन तक की कार्यवाही सम्बंधित प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा ही सम्पादित की जायेगी I मुख्यालय स्तर पर विचारणीय निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं अन्य लेखापरीक्षा सामग्रियों (Audit Materials) के सम्बन्ध में केवल नवीन पृच्छाओं (Queries) के निस्तारण हेतु एवं उनसे सम्बन्धित नवीन K.D. के संकलन हेतु ही सम्बन्धित समूह अधिकारी को अग्रेषित किया जायेगा I

(2) सामान्य परिस्थितियों में ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से सम्बंधित समस्त कार्यो यथा- K.D. परीक्षण का कार्य, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद का कार्य, K.D. सन्दर्भित करने का कार्य आदि सभी कार्य उक्त नव गठित प्रतिवेदन अनुभागों द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा I उक्त कार्यो हेतु कार्यालय के अन्य अनुभागों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बद्ध नहीं किया जायेगा I

(3) प्रधान महालेखाकार महोदय के द्वारा अनुमोदित एवं मुख्यालय को प्रेषित समस्त निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं अन्य लेखापरीक्षा सामग्रियों (Audit Materials) के संदर्भ में वांछित समस्त KDs एवं पत्रावलियों का उचित रख-रखाव सम्बन्धित प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा किया जायेगा I

(4) COPU/PAC की बैठकों से सम्बंधित समस्त कार्यो को समय पर सम्पादित करने का दायित्व COPU/PAC के सम्बंधित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एवं तैनात सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की होगी I

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं:प्र.म.ले.(ले.प.-II)उ.प्र./प्रशासन/फा.सं.-149/ TR-4692 **दिनांक:**22**.12.2021**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार/ AMG-I & IV, प्रशासन, कार्यालय प्र.म.ले. (ले.प.-II), उ.प्र., लखनऊ
2. उप महालेखाकार/ AMG-III, कार्यालय प्र.म.ले. (ले.प.-II), उ.प्र., लखनऊ
3. उप महालेखाकार/ AMG-II, कार्यालय प्र.म.ले. (ले.प.-II), उ.प्र., लखनऊ
4. सचिव, प्रधान महालेखाकार, कार्यालय प्र.म.ले. (ले.प.-II), उ.प्र., लखनऊ
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय प्र.म.ले. (ले.प.-II), उ.प्र., लखनऊ
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय प्र.म.ले. (ले.प.-II), उ.प्र., शाखा कार्यालय प्रयागराज
7. व.ले.प.अ./ AMG-I,II,III,IV (प्रोग्राम), कार्यालय प्र.म.ले. (ले.प.-II), उ.प्र., लखनऊ
8. व.ले.प.अ./ सामान्य प्रशासन, पी.सी./ रिपोर्ट (PSU, Non-PSU, Revenue, SFAR), आई.टी.ए., SFAR, कार्यालय प्र.म.ले. (ले.प.-II), उ.प्र., लखनऊ
9. आई.टी.सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश के प्रति कार्यालय की अधिकारिक वेब-साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें I
10. सूचना पट्ट

AAO/IT cell
22/12/2021
Sr AO/IT

21.12.21

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)